"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2012—माघ 28, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल (सी.ए.एफ.), आरक्षक (जी.डी.), सहायक प्लाटून कमांडर एवं प्रधान आरक्षक (नर्सिंग) आरक्षक ट्रेड (कुशल/अकुशल) (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 4 में, कालम क्रमांक (8) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत त्रिवर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण एवं उसका छत्तीसगढ़ मेडिकल काउन्सिल में पंजीयन अथवा चार वर्षीय बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा $3^1/_2$ वर्षीय जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग (जी.एन.टी.) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा तीन वर्षीय जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी (जी.एन.एम.) कोर्स उत्तीर्ण एवं किसी संस्था से छः माह का इंटर्नशीप पूर्ण, जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउन्सिल अथवा अन्य राज्यों के प्राधिकृत नर्सिंग काउन्सिल में पंजीकृत हो."

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 5 में, कालम क्रमांक (8) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(10+2) प्रणाली के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा शासन द्वारा प्राधिकृत किसी विद्यालय से एक वर्षीय पैरा मेडिकल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था से पैरामेडिकल कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 17-02-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 17th February 2012

NOTIFICATION

No. F 2-34/2-Home/SPS/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government hereby, makes the following further amendment to the Chhattisgarh Armed Executive Force (C.A.F.), Constable (General Duty), Assistant Platoon Commander and Head Constable (Nursing) Trade Constable (Trained/Untrained) (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,—

1. In serial number 4 of Schedule-II, for the entries relating to column number (8), the following shall be substituted, namely :—

"Should have passed three years medical course authorized by the Government of Chhattisgarh and registered in Chhattisgarh Medical Council as such or four years B.Sc. (Nursing) or $3^1/_2$ years General Nursing Training (G.N.T.) examination or three years General Nursing and Midwifery (G.N.M.) course and should have completed six months internship from any institute which is registered in Chhattisgarh Nursing Council or any authorized Nursing Council of other States."

2. In serial number 5 of Schedule-II, for the entries relating to column number (8), the following shall be substituted, namely :—

"Should have passed 12th or equivalent examination from any recognized Board under (10+2) system and one year Para-Medical Certificate Course from any school authorized by the Government with registration as a Para-Medical worker from an institution authorized by the Government of Chhattisgarh."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.